तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	17/3/21
	पत्रावली पेश। अनुपस्थित उप। [illegible] को प्रमाण पत्र [illegible] हेतु [illegible] के लिए [illegible] पेश नहीं किया [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 23/3/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
	23/3/21 न्यायालय के अधिकारी [illegible] अवकाश पर गये हुए [illegible] दिनांक 25/3/21
25/3/21	पत्रावली पेश। अनुपस्थित उप। [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] हेतु दिनांक 30.3.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (SDO)
30/3/21	पत्रावली पेश। अनुपस्थित उप। प्रार्थी का प्रमाण पत्र [illegible] को जारी किया गया [illegible] पत्रावली [illegible] कार्यवाही [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

कि प्रार्थीगण को अपने खेताय में पहुचनें के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जबकि हसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है तथा प्रश्नगत रास्ता जदीक बताया है । जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से साबित होता है।

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये मगर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कटतम सरल सुगम है जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से साबित होता है

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं हसीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से यह भी ईद होता है की प्रार्थी के अपने खेतों में आने जाने कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है था प्रश्नगत रास्ते की प्रार्थी को नितांत आवश्यकता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का क्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आरटीएक्ट को स्वीकार किया जाता है ।

अतः उक्त घोषित किये गये रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं इगा। यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम ायेगा। अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

आदेश

अतः प्रार्थी नारवाकलां के कटाणी रास्ता नबंर 115 से प्रार्थी के ख.न. नबंर 2838/3091 मौजा ाधाणियों की ढाणी में आने जाने हेतु मौजा नारवाकलां के ख.न. ख.न. 84, 2001/84, 2003/84 की सींव के सींव जोड माठ के सहारे सहारे चिपता मौजा नारवाकंला के ख.न. 87 जो कि प्रार्थी की ख्रातेदारी का खेत है, तक व उससे आगे अप्रार्थी संख्या 08 के मौजा नारवाकलां के खसरा नबरं 2022/87 के खेत की उतरी सींव के सींवा जोड के सहारे सहारे कटाणी रास्ता खसरा नबंर 115 मौजा नारवाकलां तक 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषित रास्ते को राजहक में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण को प्रभावित रकबा रकबा प्रभावित खसरा नबंर 2003/84 से 0.04 बिश्वा, खसरा नबंर 2001/84 रकबा 0.05 बिश्वा, खसरा नबंर 84 रकबा 0.09 बिश्वा, खसरा नबंर 87 रकबा 0.10 बिश्वा, खसरा नबंर 2023/87 रकबा 0.07 बिश्वा होगा। जिसकी डीएलसी दर की ढाई गुना राशि प्रार्थी से प्राप्त करेगें।

प्रार्थी से प्रभावित रकबा की (सिचिंत/असिचिंत) कि डीएलसी की दर से ढाई गुना राशि प्राप्त कर अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार उक्त राशि का भुगतान करेगें। अगर अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करते है तो उक्त राशि राजकोष में जमा करायेगें। तथा आदेशानुसार रास्ते को खुलवाया जाकर रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करेंगे। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 30.3.24 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर